

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म०प्र०)

क्रमांक/एफ/प्रशा./स्था./2024/8018

दिनांक : ०५/०३/२०२४

// कार्यालयीन आदेश //

माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. द्वारा प्रदत्त निर्देशानुसार जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर में रैगिंग रोकने हेतु वर्तमान उपायों के साथ व्यवस्थाओं को और अधिक सुदृढ़ करने हेतु निर्देशित किया गया है।

इस संबंध में प्रो.एस.के.सिंह, कुलानुशासक जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर को उक्त व्यवस्था की निगरानी हेतु रैगिंग निरोधी प्रकोष्ठ का नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा।

आदेशानुसार,


कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

- 1.समस्त विभागाध्यक्ष/विभागाधिकारी/समन्वयक/निदेशक जी०वि०वि०, ग्वालियर।
- 2.समस्त चीफ वार्डन/वार्डन छात्रावास, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
- 3.कुलानुशासक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
- 4.प्रोक्टोरियल बोर्ड, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
- 5.कुलपति के सचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
- 6.उप/सहा-कुलसचिव.प्रशा/लेखा/परीक्षा/गोपनीय/अकादमी/विकास/स्टोर जी०वि०वि०, ग्वालियर।
- 7.कुलसचिव के निजी सहायक, जी०वि०वि०, ग्वालियर।


सहा. कुलसचिव (प्रशा.)